

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिदिरा/प्रारं/SIQE/C/19522/सूचना का अधि/2017/600

दिनांक : 17/01/18

प्राचार्य डाईट,
समस्त राजस्थान
राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय
समस्त राजस्थान

All PEEO

विषय:-एसआईक्यूई की माह जनवरी 2018 की कलस्टर कार्यशाला दिनांक 18 या 19 जनवरी व 29 या 30 जनवरी के क्रम में।

प्रसंग:-पीएससी की बैठक में माननीय शिक्षा सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक उनि/सशि/एसआईक्यूई/2017-18/33 दिनांक 05.09.2017 की अनुपालना में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि राजस्थान राज्य में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन हेतु एसआईक्यूई कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1-5 तक प्राथमिक कक्षाओं को हिन्दी गणित अंग्रेजी एवं पर्यावरण विषयों का शिक्षण कराने वाले समस्त शिक्षकों को कलस्टर कार्यशालाओं के माध्यम से मार्गदर्शन देकर क्षमता संवर्धन किया जा रहा है। पूर्व में आयोजित 3 कलस्टर कार्यशालाओं में आप के एवं डाईट के द्वारा प्रशिक्षित M.T. के माध्यम से सफल क्रियान्विति की गई। इस सत्र की अन्तिम कलस्टर कार्यशाला दिनांक 18 या 19 को हिन्दी व पर्यावरण विषय एवं 29 या 30 जनवरी को अंग्रेजी व गणित विषय की कार्यशाला समस्त पीईईओ की अध्यक्षता में शहरी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जाएगी। कलस्टर कार्यशाला के सफल संचालन हेतु निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्यशाला आयोजित करें।

1. कलस्टर कार्यशाला का समय विद्यालय समय में किया जाये।
2. कार्यशाला में उपस्थित विषयाध्यापकों की उपस्थिति लेकर एडीपीसी कार्यालय की वेबसाईट पर प्रेषित की जाये।
3. डाईट से सम्पर्क कर विषयाध्यापक दक्ष M.T. की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
4. कार्यशाला दो कक्षा-कक्षाओं में अलग-अलग आयोजित की जावे। मध्याह्न पश्चात दोनों M.T. विषयाध्यापक को exchange कर शिक्षकों की क्षमता संवर्धन करें।
5. डाईट प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि जिले के सभी कलस्टर केन्द्रों की सूची प्राप्त कर प्रत्येक कार्यशाला में 2-2 M.T. की पहुँच उपलब्ध करें।
6. पीईईओ स्वयं के विद्यालय के एसआईक्यूई की समझ रखने वाले शिक्षक/व.अ./व्याख्याता को दक्ष प्रशिक्षक के रूप में कलस्टर कार्यशाला में नियुक्त करें।
7. कलस्टर कार्यशाला में आईसीटी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम फेज के विद्यालयों में स्थित कम्प्यूटर लैब को क्रियाशील कर कम्प्यूटर सेट मय प्रोजेक्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
8. राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा कलस्टर कार्यशाला हेतु एडीपीसी एसएसए के द्वारा सभी पीईईओ को बजट आवंटित किया जा चुका है। उक्त राशि का नियमानुसार कलस्टर कार्यशाला को विधिवत संचालन कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एसएसए को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
9. डाईट प्राचार्य एवं व्याख्याताओं द्वारा कलस्टर कार्यशाला की जिले में निरीक्षण कर मोनेटरिंग की जावे।
10. कलस्टर कार्यशाला में संभागियों के द्वारा स्वयं के विद्यालय के पोर्टफोलियो, भित्ति पत्रिका, बेस्ट प्रेक्टिसेज के कक्षा शिक्षण के वीडियो का प्रदर्शन पीईईओ की अध्यक्षता में किया जाना है।
11. सभी शिक्षक संभागी कलस्टर कार्यशाला में अध्यापक योजना डायरी, चैकलिस्ट आदि रिकार्ड लेकर उपस्थित हो।

12. कलस्टर कार्यशाला विद्यालय समय तक अनवरत संचालित की जानी है। अनुपस्थित कलस्टर संभागी शिक्षकों की सूची तैयार कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को प्रेषित की जावे।
13. एसआईक्यूई के कलस्टर कार्यशाला के लघु फिल्म/वीडियो तैयार कर वेबसाईट/यू ट्यूब पर अपलोड करावें।
14. पीईईओ के कर्त्तव्य एवं दायित्व निर्वहन के तहत एसआईक्यूई की मोनेटरिंग की जानी है।

उक्त कार्यशालाओं की समेकित रिपोर्ट निम्न प्रारूप में siqerajasthan.state2@gmail.com पर 05.02.2018 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	जिला	कुल कलस्टर केन्द्र	विषयवार आमंत्रित संभागी				विषयवार उपस्थित संभागी			
			हिन्दी	पर्यावरण	अंग्रेजी	-गणित	हिन्दी	पर्यावरण	अंग्रेजी	गणित

उक्त निर्देशों की पालना न करने पर कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

—sd—
अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक रामाशिप, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. समस्त उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) समस्त एडीपीसी (एसएसए/रमसा) को प्रतिलिपि देकर लेख है कि अपने संभाग एवं जिले की कलस्टर कार्यशालाओं का निरीक्षण डाईट की शैक्षिक टीम को साथ लेकर करना सुनिश्चित करें।
6. प्राचार्य डाईट को पत्र देकर लेख है कि अपने जिले की कलस्टर कार्यशालाओं की मोनेटरिंग हेतु व्याख्याताओं व पर्याप्त M.T. को नियुक्त करना सुनिश्चित करें।
7. समस्त बीईईओ यह सुनिश्चित करें कि कलस्टर केन्द्रों का अवलोकन कर रिपोर्ट एडीपीसी रमसा कार्यालय को उपलब्ध करावें।
8. समस्त संस्था प्रधानों (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) को पत्र देकर लेख है कि कलस्टर कार्यशाला में प्राथमिक शिक्षा को शिक्षण कराने वाले विषयाध्यापकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके खिलाफ नियुक्ति अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
9. कम्प्यूटर विभाग मा.शि./प्रारं.शि. राजस्थान, बीकानेर को विभागिय वैब साईट पर अपलोड करने हेतू।
10. रक्षित पत्रावली।

—sd—
अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com